

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय / MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग / DEPARTMENT OF REVENUE
कार्यालय आयुक्त / OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय / CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE
142-बी हिरण मगरी सेक्टर -11, उदयपुर (राजस्थान)/ 142-B, HIRAN MAGRI, SECTOR-11, UDAIPUR(RAJ.)
दूरभाष सं./Tele. No. 0294-2482013 व फैक्स नं./Fax.No. 0294-2483648

स्थापना आदेश संख्या : 10/2019

दिनांक: 14.08.2019


श्रीमान् मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जयपुर जोन) जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 49/2019 दिनांक 06.08.2019 के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधीक्षकों की पदस्थापना/स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए स्थान पर तुरन्त प्रभाव से की जाती है:-

S. No.	Name of the officer S./Sh.	From	To
1	SUNIL KUMAR	UOP	ADJ./LAW/VIGILANCE/RTI/CPGRAM SECTION CGST DIVISION-E, BHILWARA
2	KISHAN LAL MEENA	UOP	CGST RANGE-XXXII, PRATAPGARH (CGST DIVISION-G, CHITTORGARH)
3	JAI KUMAR SOMANI	UOP	CGST RANGE-XXXIX, JHALAWAR (CGST DIVISION-I, KOTA)
4	RAVI PAL SINGH	CGST RANGE-XXXII, PRATAPGARH (CGST DIVISION-G, CHITTORGARH)	AUDIT/TAR/INSPECTION/SEVOTTAM/SRC SECTION CGST HQRS., UDAIPUR
5	RAJESH SINGH	AUDIT/TAR/INSPECTION/SEVOTTAM/SRC SECTION CGST HQRS., UDAIPUR	REVIEW BRANCH WITH ADDL. CHARGE OF ADJ. BRANCH, CGST HQRS. UDAIPUR

यह आदेश आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

नोट:-

1. इस आदेश के जारी होने की तिथि तक प्राप्त समस्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों (Representation) पर विचार कर निस्तारण कर लिया गया है।
2. इस आदेश के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों (Representation) पर अधिकारियों द्वारा उनके नये पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही विचार किया जायेगा।
3. उपरोक्त अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं वे विधिवत् रूप से अपने चार्ज का Handing Over & Taken Over करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करें।
4. क्रम सं. 01 से 03 पर अंकित अधिकारियों को आज दिनांक 14.08.2019 को अप्राह्य पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे तुरन्त अपने नव पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।
5. क्रम सं. 04 पर अधिकारी को टी टी ए एवं ज्योनिंग टाईम देय नहीं होगा।




(पीयूष भाटी)

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अपर आयुक्त (सी.सी.ओ.) , सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/अलवर, अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर एवं अपीलस, जयपुर/जोधपुर।
3. सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. संभाग-ए-बी-सी, उदयपुर./डी-कांकरोली/ई-एफ भीलवाडा/जी-चित्तौड़गढ़/एच-आई कोटा।
4. समस्त सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर
5. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतकर्ता) सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर।
6. आयुक्त के निजी सहायक सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, उदयपुर।
7. निजी प्रिन्टि/सवा पुस्तिका/गार्ड फाइल
8. अधीक्षक(कम्प्यूटर) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (for uploading the order on departmental website)
9. नोटिस बोर्ड।


संयुक्त आयुक्त (का.एवं सत.)